

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

19/10/22

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व चिलेश्वर

भू अभिलेख निरीक्षक गोखरवा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार करेड़ा की, अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोखरवा पटवार हल्का चिलेश्वर
तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2023-26 में खाता 166
संख्या 166, 168 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड
में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>खाराग</u> <u>166,</u> <u>168</u> <u>गोखरवा</u>	<u>166</u> <u>168</u>	<u>रेमल पिला</u> <u>नायूलाल</u> <u>गुजर</u>	<u>रेमल पिला नायूलाल</u> <u>गुजर</u>

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 19/10/22

क्रमांक/न्यायालय /2022 266
प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री रेमल पिला नायूलाल गुजर



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

करेड़ा जिला भीलवाड़ा